कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)

पोलोटेक्निक कॉलेज, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर
ceo_nnj@rediffmail.com tel 02912651464 fax 2651466

क्रमांक :– 31026 दिनांक :– 15/3/23

–:पार्किंग नीलामी सूचना:–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जोधपुर दक्षिण में गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग की खुली बोली निलामी से जायेगी । इच्छुक बोलीदाता निलामी शुल्क धरोहर राशि दिनांक **31.03.2023** को **11:30 AM** बजे से **3:00 PM** तक जमा करा सकते है। नीलामी कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सभाकक्ष में की जायेगी। नीलामी के सन्दर्भ में सम्पूर्ण विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	नीलामी स्थान (पार्किंग स्थल)	वाहनों का प्रकार	अवधि	न्यूनतम बोली	धरोहर राशि रूपये	प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय
1.	गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग, सरदारपुरा, जोधपुर	दुपहिया वाहन, चारपहिया वाहन	एक वर्ष हेतु	21,00,000/-	42,000/-	दिनांक **31.03.2023** को **3:00PM** बजे तक (निविदा प्रपत्र मूल्य 500/– रू.)	दिनांक **31.03.2023** **3:00PM** बजे तक

1. पार्किंग जहां है जैसी है के आधार पर नीलामी की जा रही हैं। नीलामी खुली बोली द्वारा की जायेगी तथा पार्किंग ठेका एक वर्ष के लिए किया जाना हैं।
2. अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर नोटरी से तस्दीक सुदा अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. नीलामी दिनांक **31.03.2023** को अमानत राशि उपरोक्तानुसार बजे तक ही जमा करा सकते है, जो कि नगद/बैंकर चैक/डी.डी. के रूप में ही स्वीकार होगी।
4. खुली बोली नीलामी प्रक्रिया **3:00PM** बजे शुरू होगी।

(अतुल प्रकाश)
I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

क्रमांक:– 31027 to 31033 दिनांक:– 15/3/23

प्रतिलिपि:–

1. निजी सहायक महापौर महोदया नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2. निजी सहायक आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3. अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4. लेखाधिकारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5. कार्यालय अधीक्षक को भेजकर लेख है कि नीलामी हेतु आवश्यक फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करावें एवं डी.डी.आर. कार्यालय निगम, नोटिस बोर्ड इत्यादि पर चस्पा की व्यवस्था करावें।
6. आई0टी0 टीम को भेजकर लेख है कि निगम की वेबसाईट व www.sppp.raj.nic .in पर विज्ञप्ति अपलोड करावें।
7. प्रधन्ध निदेशक राजस्थान संवाद जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निलामी सूचना एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र व एक क्षेत्रीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

कार्यालय नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

कमांक :– 31034 दिनांक :– 15/3/23

गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग की नियम व शर्ते

01. गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग की न्यूनतम सरकारी बोली 21,00,000/- रू. है।
02. गांधी मैदान मल्टीलेवल पार्किंग की ठेका अवधि (01) एक वर्ष है।
03. वाहन पार्किंग पर निर्धारित दरों का बोर्ड लगाना होगा।
04. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/2 राशि नीलामी समाप्ति के 7 दिवस में डी.डी. अथवा ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/2 राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त समझी जावेगी इसके पश्चात् उच्चतम बोलीदाता के द्वारा दी गई बोली राशि का काउंटर ऑफर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को दिया जावेगा। काउंटर ऑफर द्वितीय बोलीदाता द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में 1/2 राशि साथ ही जमा करानी होगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/2 राशि जमा नहीं कराने पर ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।
05. 1/2 राशि जमा होने पर एवं सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् संवेदक को अस्थायी लाईसेंस जारी किया जायेगा तथा शेष 1/2 राशि अस्थाई लांईसेंस जारी होने के 90 दिवस में राशि नगर निगम जोधपुर दक्षिण कोष में जमा करानी होगी। निर्धारित समय पर सम्पूर्ण ठेका राशि निगम कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा ठेकेदार की जमा समस्त राशियां जब्त समझी जावेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी
06. प्रत्येक नयी बोली न्यूनतम सरकारी बोली अथवा पूर्व घोषित बोली से 5,000 के गुणांक में ही स्वीकार होगी। उदाहरण – 21,00,000 से 21,05,000/–
07. बोली दाता को पहचान के रूप में स्वयं के (आधार कार्ड, पहचान पत्र, लाईसेंस, पेन कार्ड) आदि जमा करवाना अनिवार्य होगा।
08. संवेदक द्वारा धरोहर राशि नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक अथवा आरटीजीएस के जरिये जमा करा सकता हैं।
09. निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) को होगा।
10. वाहन पार्किग का ठेका किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जायेगा।
11. पार्किगं स्थल पर वाहन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। वाहन गुम हो जाने पर बोलीदाता स्वंय व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
12. स्वीकृत बोली के अतिरिक्त नियमानुसार देय (जी.एस.टी. एवं अन्य कर) का भुगतान करना होगा।
13. विभाग अधिकतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। समिति की अनुशंसा पर बोली अस्वीकृत/निरस्त की जा सकेगी।
14. किसी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति/अनुज्ञप्ति आवश्यक होने पर बोली दाता को प्राप्त करनी होगी। सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए पार्किंग का संचालन करना होगा।
15. कार्यालय आदेश के सात दिन के भीतर 100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
16. समय–समय पर निगम के अधिकृत अधिकारी निरीक्षण कर सकेंगे।
17. मल्टीलेवल पार्किंग भवन का रखरखाव संवेदक द्वारा किया जावेगा।

18. मल्टीलेवल पार्किंग भवन मे किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंचने पर उसका व्यय संवेदक से वसुला जावगा।
19. निगम द्वारा गांधी मैदान पार्किगं जिस अवस्था में है , उसी अवस्था में संचालन हेतु सवेंदक को दिया जायेगा। पार्किगं के संचालन हेतु किसी प्रकार की सुधार/मरम्मत की यदि आवश्यकता है तो संवेदक द्वारा निगम की पुर्वानुमति के पश्चात ही कराया जा सकेगा।
20. बोलीदाता बोली लगाने से पुर्व पार्किगं का अवलोकन करने के पश्चात ही नीलामी में भाग लेवें।
21. मल्टीलेवल पार्किंग के भवन के बिजली व अन्य रखरखाव के बिल संवेदक द्वारा भुगतान किये जावेंगे।
22. मल्टीलेवल पार्किंग भवन संरचना में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ या बदलाव नहीं किये जा सकेंगे, अति आवश्यक होने पर निगम से नियमानुसार स्वीकृति लेने के पश्चात् ही कार्य कर सकेंगे।
23. मल्टीलेवल पार्किंग भवन में आपातकालीन स्थिती में उपयोग होने वाले समस्त अग्निश्मन का रखरखाव संवेदक द्वारा किया जायेगा।
24. संवेदक द्वारा मल्टीलेवल पार्किंग में लगे कर्मचारीयों को अग्निश्मन व अन्य आपातकालीन स्थितीयों से निपटने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जावेगा।
25. वाहन पार्किंग में लगें कर्मचारी व्यवसन मदिरा, धुम्रपान आदि का उपयोग नही कर सकेंगे।
26. वाहन पार्किंग मात्र बेसमेंट प्रथम व बेसमेंट द्वितीय में ही की जावेगी।
27. निर्धारित स्थल के अलावा अन्यत्र वाहन पार्किंग नहीं लगाया जायेगा। (MAP व निर्माण अनुसार) मात्र बेसमेंट प्रथम व बेसमेंट द्वितीय में ही पार्किंग की जावेगी।
28. किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।
29. संवेदक द्वारा अधिकतम निम्न दरों से शुल्क वसूला जायेगाः–
30. बोली आयुक्त एवं महापौर महोदया के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार की जायेगी।

क्र.स.	समय	मोटर साईकिल/स्कूटर	चौपहिया वाहन
01	प्रथम दो घण्टें	20/–	40/–
02	चार घण्टें	40/–	80/–
03	आठ घण्टें	50/–	100/–
04	24 घंटे तक	60/–	120/–
05	मासिक पास	750/–	1500/–

आयुक्त
नगर निगम,जोधपुर (दक्षिण)

उक्त शर्तें मैनें पुर्ण रूप से पढ ली है,
तथा इन पर मै अपनी सहमति देता हूॅं।

हस्ताक्षर– बोलीदाता
फर्म का नाम/पता...
....